भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1676

30 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता

1676. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए उपाय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा लीकेज, फर्जी राशन कार्डों पर रोक लगाने और लाभार्थियों तक खाद्यान्न की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के कार्यान्वयन का ब्यौरा और मौजूदा स्थिति क्या है;

(घ) क्या बढ़ती मुद्रास्फीति को देखते हुए खाद्य राजसहायता योजनाओं के अंतर्गत और अधिक लाभार्थियों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): प्रौद्योगिकी आधारित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) सुधारों के एक भाग के रूप में, टीपीडीएस की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करने के उद्देश्य से, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस को पूरी तरह से (100%) डिजिटीकृत कर दिया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर लागू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, देश में 99.7% राशन कार्ड आधार से जोड़ दिए गए हैं। देश में कुल 5.43 लाख में से लगभग 5.41 लाख (99.6%) उचित दर दुकानों को ईपीओएस डिवाइस संस्थापित कर स्वचालित किया गया है, ताकि लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शी तरीके (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) से खाद्यान्नों का वितरण किया जा सके।

...2/-

(ग): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना है, जो जनगणना 2011 के अनुसार 81.35 करोड़ व्यक्ति है। जबकि अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) वाले परिवार, जो सबसे गरीब हैं, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क पाने के पात्र हैं, वहीं प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क पाने के पात्र हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कवरेज काफ़ी अधिक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के सभी कमजोर और ज़रूरतमंद वर्गों को इसका लाभ मिले। वर्तमान में, 81.35 करोड़ की अभीष्ट कवरेज की तुलना में, 80.56 करोड़ लाभार्थी निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं।

(घ) से (ड.): इस अधिनियम की धारा 9 यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक राज्य के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रतिशत कवरेज का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और राज्य में कवर किए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या की गणना जनसंख्या अनुमानों के आधार की जाएगी, जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। इसलिए, एनएफएसए के अंतर्गत कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़ों के प्रकाशित होने के बाद ही संभव होगा।

*****